

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2002/आश्विन 5, 1924

No. 201]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2002/ASVINA 5, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2002

सं. टीएएमपी/11/2002-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कॉपर सान्द्रण पर वसूल किए जा रहे घाटशुल्क के समायोजन और तृतीकोरिन पत्तन न्यास के दरों के मान में मात्रा छूट योजना शुरू करने के लिए मै० स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन संबंधी मामले को बन्द करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/11/2002-टीपीटी

मै० स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि.

.....

आवेदक

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

.....

प्रत्यर्थी

आदेश

(सितंबर, 2002 के 20वें दिन पारित किया गया)

यह मामला कॉपर सान्द्रण पर वसूल किए जा रहे घाटशुल्क के समायोजन और तृतीकोरिन पत्तन न्यास के दरों के मान में मात्रा छूट योजना शुरू करने के लिए मै. स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन से संबंधित है।

2.1. "अब तक, 'दरों के मान बनाने के लिए' इस प्राधिकरण की नियामक मध्यस्थता निम्नलिखित मार्गों को व्यक्त कर की जा रही थी:—

- पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल से प्राप्त 'प्रस्ताव' पर विचार।
- पत्तन प्रयोक्ता अथवा पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्था से प्राप्त 'अभ्यावेदन' पर विचार।
- अपनी ओर से कार्रवाई करना।

2.2 यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण के कार्य विनियम संव्यवहार भी कार्यवाहियों में ज्यादा से ज्यादा पक्षों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श प्रक्रिया पर जोर देने के अनुसार बनाया गया है।

3. उपर्युक्त अभ्यावेदन प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था और निर्धारित विचार-विमर्श प्रक्रिया का अनुसरण कर अगली कार्यवाही की गई थी। सभी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के लिए पत्तन स्तर की संयुक्त सुनवाई भी निश्चित की गई थी।

4. इस मामले पर अंतिम विचार किए जाने से पहले, भारत सरकार (पोत परिवहन मंत्रालय) ने अपने दिनांक 9 सितंबर, 2002 के पत्र सं. पीआर-14019/36/2001-पीजी द्वारा इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन 'नीति निर्देश' जारी किया है कि भविष्य

में वैयक्तिक पक्षों द्वारा दिए जाने वाले अभ्यावेदनों पर कार्यवाही न की जाए। इस प्रकार, इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम के उपबंधों के अधीन वैयक्तिक मामलों में निर्णय देने की शक्ति नहीं है। यह निर्देश इस प्राधिकरण के इस तर्क के बावजूद जारी किया गया है कि पूर्वोक्त धारा 111 के आशय में 'नीति प्रश्न' पर निर्देश जारी करना शामिल है और क्षेत्राधिकार संबंधी किसी विवाद को केवल तभी विधिक मुद्दे के रूप में देखा जाएगा, जब नीति निर्देश के माध्यम से संकल्प की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

5. महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के उपबंधों के अनुसार, यह प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा नीति के प्रश्नों पर दिए गए निर्देशों से प्रभावित हुआ है।

6. उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण उपर्युक्त अभ्यावेदन पर अंतिम विचार करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त मामला क्षेत्राधिकार के अभाव में, सरकार के निर्देशानुसार, बन्द किया जाता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2002/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2002

No.TAMP/11/2002-TPT.— In compliance of a direction issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case relating to the representation made by the M/s. Sterlite Industries (India) Pvt. Ltd. for adjustment in wharfage levied on copper concentrate and introduction of volume discount scheme in the Scale of Rates of the Tuticorin Port Trust as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/11/2002-TPT

M/s. Sterlite Industries (India) Pvt. Ltd.

.....

Applicant

Vs.

The Tuticorin Port Trust

.....

Respondent

ORDER

(Passed on this 20th day of September, 2002)

This case relates to a representation made by M/s. Sterlite Industries (India) Pvt. Ltd. for adjustment in wharfage levied on copper concentrate and introduction of volume discount scheme in the Scale of Rates of the Tuticorin Port Trust.

2.1. So far, the regulatory intervention of this Authority 'to frame Scale of Rates' has been taken to encompass the following routes:

- (i) Consideration of a 'proposal' received from a Port Trust/Private Terminal.
- (ii) Consideration of a 'representation' received from a port user or a representative body of port users.
- (iii) Initiation of action *suo motu*.

2.2. It is noteworthy that the Transaction of Business Regulations of this Authority have also been framed accordingly with an emphasis on a consultative process to promote participation in the proceedings of the greatest number of interested parties.

3. The representation in reference was registered as a tariff case and processed further following the consultative procedure prescribed. A port level joint hearing was also set up to give an opportunity of hearing to all concerned.

4. Before this case could be taken up for final consideration, the Government of India (in the Ministry of Shipping) vide its communication No.PR-14019/36/2001-PG dated 9th September, 2002 has issued a 'policy direction' to this Authority under Section 111 of the MPT Act to refrain in future from entertaining representations made by individual parties, as this Authority has no power of adjudication in individual cases under the provisions of the MPT Act. This direction has been issued despite this Authority's argument that the scope of Section 111 *ibid* covers issue of directions on 'question of policy' and any dispute about jurisdiction can only be seen to be a legal issue having no scope for resolution through a policy direction.

5. In terms of the provisions of Section 111 of the MPT Act, this Authority is bound by the directions on questions of policy given by the Central Government.

6. For the reasons given above, this Authority is unable to take up the representation in reference for final consideration. In the result, the case in reference is closed, as directed by the Government, for want of jurisdiction.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT III/IV/143/2002/Ext'y.]